

श्रीमती शेफाली गुप्ता

बनाम

श्रीमती विद्या देवी गुप्ता एवं अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 4673/2023

20 मई 2025

(न्यायमूर्ति श्री पंकज मिथल* एवं न्यायमूर्ति श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह)

विचारणीय बिंदु

यह मुद्दा उठा कि प्रथम बार के न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन खारिज करने के आदेश की सत्यता क्या है; और जिस संपत्ति के बारे में वाद, दावा या कार्रवाई की गई है, वह बेनामी संपत्ति है या नहीं।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 7 नियम 11 – बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 – धारा 2(8), 2(9), 4 – वादपत्र की नामंजूरी – बेनामी संपत्ति – बंटवारे, कब्जे, घोषणा, आज्ञापक और स्थाई निषेधाज्ञा और उन संपत्तियों जिन्हें कुटुंब सम्पत्तियाँ अभिकथित किया गया है, के बारे में हिसाब-किताब के लिए माँ और छोटे बेटे द्वारा बड़े बेटे और उसके परिवार के विरुद्ध वाद मुकदमा – कुछ सम्पत्तियाँ प्रतिवादी क्रमांक 2-बड़े बेटे की पत्नी ने प्रतिवादी क्रमांक 5 और 6-पश्चात्कर्त्ता क्रेताओं के पक्ष में विक्रय की थीं और इस तरह विक्रय को शून्य अभिकथित किया गया – वाद में, पश्चात्कर्त्ता क्रेताओं ने आदेश 8 नियम 11 के तहत एक आवेदन दिया जिसमें कहा गया कि बेनामी अधिनियम के नियमों के मद्देनजर वाद पोषणीय नहीं था – प्रथम बार के न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी आवेदन खारिज कर दिया – प्रतिवादी क्रमांक 2 और पश्चात्कर्त्ता क्रेताओं द्वारा चुनौती :

अभिनिर्धारित: प्रतिवादी क्रमांक 2 ने न तो आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन दिया और न ही प्रथम बार के न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए कोई पुनरीक्षण दायर किया, इसलिए, वह व्यथित व्यक्ति नहीं है और उसे आक्षेपित आदेशों को चुनौती देने की इजाजत नहीं दी जा सकती – उसने विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को माना और अपने व्यवहार से प्रथम बार के न्यायालय के आदेश को स्वीकार किया और गुण-दोष के आधार पर वाद को चलाने का निर्णय लिया – प्रतिवादी क्रमांक 5 और 6 केवल कुछ ही संपत्तियों के पश्चात्कर्त्ता क्रेता हैं और वास्तविक स्वामियों की संपत्ति की प्रकृति के बारे में कोई भी जानकारी होने का दावा नहीं कर सकते – वे बेनामी अधिनियम की धारा 4 के तहत अभिकथित तौर पर वर्जित होने से वादपत्र को नामंजूर करने के लिए आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं – वादपत्र में सभी अभिवचनों में कहा गया है कि ये सम्पत्तियाँ संयुक्त हिंदू परिवार की सम्पत्तियाँ हैं और इन्हें या तो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के कोष से या संयुक्त परिवार के व्यापार से अर्जित आय से क्रय किया गया है – संपत्तियों को परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर बेनामी नहीं बताया गया है – वादपत्र को पढ़ने से, ऐसी संपत्तियों को पहली नज़र में बेनामी संपत्तियाँ नहीं माना जा सकता, जिसके लिए धारा 4 के तहत वाद पोषणीय न हो – वाद का वर्जित होना तभी कहा जा सकता है जब संपत्ति बेनामी हो और अपवाद में न आती हो – यह मुद्दा कि क्या संपत्ति बेनामी है और अपवाद में

बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 नहीं आती है, सबूतों के आधार पर तय किया जाना है, न कि सिर्फ वादपत्र में किये गए अभिवचनों के आधार पर – प्रतिवादी को संपत्ति को बेनामी साबित करने के लिए सबूत पेश करने होंगे – अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की – यह तर्क कि वादपत्र 1956 के अधिनियम की धारा 14 के तहत भी आता है, अधीनस्थ न्यायालयों में से किसी के सामने कभी नहीं किया गया और न ही इस पर बहस हुई, इसलिए प्रतिवादी को विशेष अनुमति याचिका में पहली बार ऐसा तर्क करने की इजाजत नहीं दी जा सकती – धारा 14 ऐसी संपत्ति के संबंध में किसी वाद को वर्जित नहीं करती ना ही उसे प्रतिषेध करती है, इसलिए, इसके अभाव में, वादपात्र को विधि द्वारा वर्जित होने के कारण नामंजूर नहीं किया जा सकता – अधीनस्थ न्यायालयों ने पश्चात्तर्वी क्रेताओं द्वारा दायर आवेदन को आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया और किसी भी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध होने के कारण वादपत्र को नामंजूर करने से इनकार कर दिया है, जिसका अर्थ है कि पक्षकारों को गुण-दोष के आधार पर वाद को चलाने की स्वतंत्रता है – इसे देखते हुए, प्रतिवादी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई गलत न्याय हुआ है जिससे उन्हें अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत मिले – भारत का संविधान – अनुच्छेद 136 – हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – धारा 14. [कंडिका 17, 18, 25-32]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

पोपट और कोटेचा प्रॉपर्टी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन [2005] सप. 2 एससीआर 1030 : (2005) 7 एससीसी 510; पवन कुमार बनाम बाबू लाल [2019] 5 एससीआर 1141 : (2019) 4 एससीसी 367 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

कीवर्ड की सूची

वाद की पोषणीयता; बेनामी संव्यवहार; संयुक्त हिन्दू परिवार संपत्ति; विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से सहमती; बेनामी संपत्ति; विवेकाधीन अधिकारक्षेत्र; वादपात्र की नामंजूरी; पश्चात्तर्वी क्रेता; अधिकार क्षेत्र से सहमती; पश्चात्तर्वी क्रेता; संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्तियां

किससे उद्धृत मामला

असाधारण अपीलीय अधिकार क्षेत्र: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 4673 of 2023 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ के सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 324 of 2019 के निर्णय और आदेश दिनांक 26.09.2022 और विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 4674 of 2023 से क्रमशः

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

नवीन पहवा, सीनियर एडवोकेट, राजुल श्रीवास्तव, सुश्री चारु अंबवानी, मोहित डी. राम, अनुभव शर्मा – अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण
कविन गुलाटी, अपूर्व कुरुप, नवीन पहवा, सीनियर एडवोकेट, सुदीप्तो सरकार, अनुज त्यागी, सुश्री अक्षिता अग्रवाल, मोहित डी. राम, अनुभव शर्मा, राजुल श्रीवास्तव, सुश्री चारु अंबवानी – अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री पंकज मिथल

1. ये दो विशेष अनुमति याचिकाएं, वाद में प्रतिवादी क्रमांक 2 के रूप में पक्षकार द्वारा और एक, वाद संपत्ति के पश्चात्कर्त्ता क्रेता (प्रतिवादी क्रमांक 5) द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में और प्रथम बार के न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता¹ के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर किये गए आवेदन को खारिज करने के विरुद्ध दायर की गई हैं।
2. वाद में मुख्य प्रतिवादी की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 4673/2023² को मुख्य वाद माना गया है, इसलिए, इसमें उल्लिखित तथ्य और पक्षकारों का वर्णन किया जाएगा और उन्हें आधार माना जाएगा।
3. दो वादीगण अर्थात् माँ और बेटा, श्रीमती विद्या देवी गुप्ता (वादी क्रमांक 1) और श्री सुदीप गुप्ता (वादी क्रमांक 2) ने वादी क्रमांक 1 के दूसरे बेटे, अर्थात् संदीप गुप्ता (प्रतिवादी क्रमांक 1) और उनकी पत्नी श्रीमती शैफाली गुप्ता (प्रतिवादी क्रमांक 2) के विरुद्ध नियमित व्यवहार वाद क्रमांक 630 ए/2018 संस्थित किया। उक्त वाद में, प्रतिवादी क्रमांक 1 के दो बेटे सिद्धार्थ गुप्ता और शांतनु गुप्ता को प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 के रूप में पक्षकार बनाया गया। वादी क्रमांक 2 की पत्नी, श्रीमती शालिनी गुप्ता और उनके बेटे संकल्प गुप्ता को प्रतिवादी क्रमांक 8 और 9 के रूप में पक्षकार बनाया गया। ऊपर बताए गए परिवार के सदस्यों के अलावा, दीपकलाल चंदानी और सूर्य प्रकाश मिश्रा को भी प्रतिवादी क्रमांक 5 और 6 के रूप में पक्षकार बनाया गया, जो वादपत्र में उल्लेखित कुछ सम्पत्तियों के पश्चात्कर्त्ता थे।
4. उपरोक्त वाद बंटवारे, कब्जे, घोषणा, आज्ञापक और स्थायी निषेधाज्ञा और उन संपत्तियों के हिसाब-किताब के लिए है जिसके लिए यह अभिकथित किया गया है कि वे संयुक्त परिवार के कोष से क्रय की गई हैं या संयुक्त परिवार के व्यापार से अर्जित आय से क्रय की गई हैं। दूसरे शब्दों में, यह वाद वास्तव में परिवार के सदस्यों के मध्य है। एक तरफ माँ और एक बेटा और दूसरी तरफ दूसरा बेटा और उसका परिवार हैं। दोनों बेटों के बच्चे या तो गैर सक्रिय या निष्क्रिय पक्षकार हैं।
5. वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार, उपरोक्त दोनों बेटों के पिता अर्थात् शांति प्रकाश गुप्ता का सिलाई व्यवसाय था। धीरे-धीरे उनका सिलाई व्यवसाय खत्म हो गया। वर्ष 1977 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उनके पास कोई चल-अचल संपत्ति नहीं थी।
6. वर्ष 1982 में, दोनों बेटों ने संयुक्त रूप से भोपाल के टीटी नगर के न्यू मार्केट में एक किराए की दुकान में 'हिमालय टेलर्स' के नाम से सिलाई का व्यवसाय शुरू किया। यह व्यवसाय उन्होंने अपनी माँ अर्थात् वादी क्रमांक 1 के कुछ आभूषण बेचकर शुरू किया था। यह व्यवसाय दोनों ने मिलकर चलाया, लेकिन छोटे भाई (वादी क्रमांक 2) को एकमात्र स्वामी नियोजित और घोषित कर दिया गया।
7. वर्ष 1990 में किसी समय परिवार ने हर्षवर्धन नगर में एक मकान क्रय किया और वे उसमें निवास करने लगे। वहां उन्होंने कम से कम वर्ष 2011 तक संयुक्त रूप से निवास किया। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा बेटा

(प्रतिवादी क्रमांक 1) अपने परिवार के साथ शालीमार पार्क में एक मकान में निवास करने लगा, जिसे परिवार ने संयुक्त परिवार के व्यापार से अर्जित आय से 2014 में संयुक्त रूप से क्रय किया था।

8. सिलाई के व्यवसाय के साथ-साथ, बड़े बेटे (प्रतिवादी क्रमांक 1) ने वर्ष 1986 में हेमी टेक्सटाइल्स के नाम से कपड़े का व्यापार शुरू किया था।
9. परिवार ने हिमालय टेलर्स और हेमी टेक्सटाइल्स के पारिवारिक व्यापार की संयुक्त आय से भोपाल के टीटी नगर के न्यू मार्केट में एक दुकान क्रय की।
10. वादपत्र में यह अभिवचन किया गया है कि 'हिमालय टेलर्स' के वास्तविक संयुक्त परिवार के व्यापार से, दोनों पक्षकारों ने परिवार के अलग-अलग लोगों के नाम पर कई सम्पत्तियाँ क्रय की। सभी सम्पत्तियाँ संयुक्त परिवार के कोष या संयुक्त परिवार के व्यापार से अर्जित आय से क्रय की गईं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि सम्पत्तियाँ वादी और प्रतिवादी या परिवार के सदस्यों के नाम पर क्रय की गई हैं और संयुक्त हिंदू परिवार की संयुक्त सम्पत्तियाँ थीं। इन संपत्तियों के बारे में वादपत्र की कंडिका 6 में बताया गया था। वादपत्र की कंडिका 6 में क्रम संख्या 19, 20 और 21 पर बताई गई कुछ सम्पत्तियाँ शैफाली गुप्ता (प्रतिवादी क्रमांक 2), जो बड़े बेटे की पत्नी हैं, ने प्रतिवादी नंबर 5 और 6 के पक्ष में विक्रय की और इसलिए यह अभिकथित किया गया है कि यह विक्रय अमान्य है।
11. उपरोक्त किये गए अभिवचनों के आधार पर, माँ (वादी क्रमांक 1) और छोटे बेटे (वादी क्रमांक 2) ने संपत्तियों के सम्बन्ध में घोषणा, बंटवारे, निषेधाज्ञा के लिए वाद संस्थित किया था। उक्त वाद में, पश्चातवर्ती क्रेताओं, प्रतिवादी क्रमांक 5 और 6 ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988³ के नियमों के मद्देनज़र वाद पोषणीय नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वाद के मुख्य प्रतिवादियों, अर्थात् बड़े भाई या उसके परिवार के सदस्यों ने ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया था। उन्होंने कभी यह अभिकथित नहीं किया कि वाद पोषणीय नहीं है या विधि के किसी प्रावधान द्वारा वर्जित है।
12. उपरोक्त आवेदन का वादीगण द्वारा विरोध किया गया और यह कथित करते हुए उत्तर दायर किया गया कि बेनामी अधिनियम (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया था) 11.01.2016 से लागू हुआ और परिवार की सभी सम्पत्तियाँ उपरोक्त दिनांक से पहले क्रय की गई थीं और इसलिए यह वाद उस अधिनियम से प्रभावित नहीं होगा। यह वाद बेनामी अधिनियम में बताए गए बेनामी संव्यवहार से जुड़े किसी मामले के न्यायनिर्णयन के लिए नहीं है, बल्कि यह वास्तव में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956⁴ के तहत एक वाद है। वाद सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति हैं और वाद में चाहा गया अनुतोष पूरी तरह से उन संपत्तियों के संबंध में है और इसलिए यह बेनामी अधिनियम के तहत वर्जित नहीं है। यह अधिनियम संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के संबंध में बंटवारे, घोषणा या निषेधाज्ञा के लिए वाद संस्थित करने को वर्जित नहीं करता है। इसके अलावा, प्रतिवादी क्रमांक 5 और 6 ने वाद की पोषणीयता पर जो आपत्तियाँ जताई हैं, वे तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्न हैं और उन पर केवल पक्षकारों के तर्कों और सबूतों के आधार पर ही विचार किया जाना चाहिए, न कि केवल वादपत्र में किये गए अभिवचनों के आधार पर।
13. प्रथम बार का न्यायालय 25.02.2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा, वादपत्र के अभिवचनों पर विस्तृत चर्चा करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह मुद्दा कि क्या वाद सम्पत्तियाँ संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्तियाँ हैं या परिवार के अलग-अलग सदस्यों की सम्पत्ति हैं और क्या उनका बँटवारा हो सकता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर पक्षकारों के सबूत पेश करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। वादपत्र के अभिवचनों के आधार

पर, वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं है और **पोपट और कोटेचा प्रॉपर्टी बनाम स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया स्टाफ़ एसोसिएशन**⁵ के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागू नहीं होते। इसलिए, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया।

14. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, पश्चातवर्ती क्रेताओं अर्थात प्रतिवादी क्रमांक 5 और 6 ने सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 324/2019 दायर किया। उक्त पुनरीक्षण को 26.09.2022 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया है, कि विचारण न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में कि, इस मुद्दे को कि संपत्तियां संयुक्त हिन्दू परिवार की हैं या उन्हें संयुक्त हिन्दू परिवार के कोष से क्रय किया गया है, पक्षकारों द्वारा साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित किया जाना है। वाद में वादपत्र को अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें किये गए अभिवचनों से यह नहीं कहा जा सकता कि यह विधि के किसी प्रावधान द्वारा वर्जित है।
15. सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करने वाले प्रथम बार के न्यायालय के निर्णय को मुख्या पक्षकारों अर्थात (प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2) या उनके बच्चों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।
16. अधीनस्थ न्यायालयों में वादपत्र को सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज करवाने में असफल होने के बाद, दीपकलाल चंदानी (प्रतिवादी क्रमांक 5) ने अकेले विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 4674/2023 दायर की है, जबकि विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 4673/2023 शैफाली गुप्ता (प्रतिवादी क्रमांक 2) द्वारा दायर की गई है।
17. सबसे पहले, यह उल्लेखनीय है कि शैफाली गुप्ता (प्रतिवादी क्रमांक 2) ने न तो सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वादपत्र नामंजूर किये जाने के लिए कोई आवेदन दिया था और न ही उन्होंने प्रतिवादी क्रमांक 5 और 6 के ऐसे आवेदन खारिज करने वाले प्रथम बार के न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए कोई पुनरीक्षण दायर किया है। इसलिए, वह आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन खारिज होने से व्यथित नहीं हैं और उन्हें आक्षेपित आदेश को प्रश्नगत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया है और अपने व्यवहार से प्रथम बार के न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया है और गुण-दोष के आधार पर वाद को चलाने का फैसला किया है।
18. प्रतिवादी क्रमांक 5 और 6 केवल कुछ संपत्तियों के लिए पश्चातवर्ती क्रेता हैं। वे वास्तविक स्वामियों की सम्पत्तियों की प्रकृति की जानकारी होने का दावा नहीं कर सकते। उन्हें इस बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं हो सकती कि वास्तविक स्वामियों की सम्पत्तियां संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्तियां हैं या उनकी व्यक्तिगत सम्पत्तियां हैं या उन्हें परिवार के सदस्यों ने बेनामी तौर पर क्रय किया है या उन संपत्तियों पर पूर्ण रूप से हिन्दू महिला द्वारा धारित है। ऐसी स्थिति में, वे बेनामी अधिनियम की धारा 4 के तहत कथित रूप से वर्जित वाद को खारिज करने के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं।
19. हमने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवीन पहवा और प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कविन गुलाटी को सुना है।
20. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के तर्क दो प्रकार के हैं। पहला यह की, अधिनियम की धारा 4 सहपठित धारा 14 के तहत वाद वर्जित है, क्योंकि कुछ वाद सम्पत्तियां प्रतिवादी क्रमांक 2 के अनन्य नाम पर हैं और इसलिए उन्हें पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत सम्पत्तियां माना जाएगा और उनका बंटवारा नहीं किया जा सकता। दूसरा यह

की, यह वाद अधिनियम की धारा 4 के तहत आता है। अंत में, क्योंकि सम्पत्तियां अनन्य तौर पर अलग-अलग लोगों के नाम पर हैं, इसलिए कोई भी पक्षकार उनके बारे में संयुक्त स्वामित्व या बंटवारे के अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

21. उपरोक्त तर्कों के जवाब में, वादीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कविन गुलाटी ने तर्क दिया कि प्रतिवादीगण ने अधिनियम की धारा 4 सहपठित धारा 14 में उल्लेखित वाद के वर्जन को सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अपने आवेदन में कभी नहीं उठाया और इस बिंदु पर उनकी ओर से न तो प्रथम बार के न्यायालय में और न ही उच्च न्यायालय में बहस की गई। इसलिए, वे इस न्यायालय के समक्ष पहली बार यह तर्क करने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, उपरोक्त प्रावधान संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्तियों के संबंध में इस तरह के वाद को वर्जित नहीं करते हैं। दूसरी बात, यह वाद अधिनियम की धारा 4 के तहत भी वर्जित नहीं है, क्योंकि वादी के कथनों के अनुसार, सभी सम्पत्तियां संयुक्त हिन्दू परिवार के कोष से क्रय की गई थीं, जो परिवार के कुछ सदस्यों के अनन्य नाम पर हो सकती हैं। वे बेनामी अधिनियम की धारा 2(9)(क) अपवाद (ii) के अनुसार अपवाद की श्रेणी में आती हैं।
22. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वादपत्र के कोरे पठन पर, वाद विधि के किसी भी प्रावधान के तहत वर्जित नहीं है और इसलिए, वादपत्र को खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 11 (घ) लागू नहीं होता है। प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया बचाव या उठाए गए मुद्दे तथ्यात्मक प्रकृति के हैं जो पेश की जाने वाले साक्ष्य के आधार पर पक्षकारों के मध्य प्रमाणित किए जाने वाले तथ्यों पर निर्भर हैं।
23. बेनामी अधिनियम की धारा 4 किसी ऐसी सम्पत्ति के बारे में वाद, दावे या कार्यवाही को वर्जित करती है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा बेनामी तौर पर धारण किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो कि उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करता है। यह इस तरह है:
"4(1). बेनामी धारित किसी संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए कोई वाद, दावा या कार्रवाई किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके नाम में संपत्ति धारित है, या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऐसी संपत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करता है, या उसकी ओर से, किसी न्यायालय में नहीं होगी।"
24. उपरोक्त नियम 'बेनामी धारित संपत्ति' के मामले में कार्रवाई को वर्जित करता है। हालांकि, जिस संपत्ति के बारे में वाद, दावा या कार्रवाई की गई है, वह बेनामी संपत्ति है या नहीं, यह सबसे मुख्य विचारणीय बात है।
25. हालांकि, वादपत्र के अभिवचन में वाद संपत्तियों को संयुक्त हिंदू परिवार की सम्पत्तियां बताया गया है और उन्हें संयुक्त हिन्दू परिवार के कोष से क्रय किया गया है या संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यवसाय से अर्जित आय से। संपत्तियों को परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर बेनामी नहीं बताया गया है। इसलिए, वादपत्र को पढ़ने से, वाद की संपत्तियों को पहली नज़र में बेनामी सम्पत्तियां नहीं माना जा सकता, जिसके लिए बेनामी अधिनियम की धारा 4 के तहत वाद पोषणीय नहीं हो सकता।
26. बेनामी अधिनियम की धारा 2 (8) और 2 (9) के तहत 'बेनामी संपत्ति' और 'बेनामी संव्यवहार' को परिभाषित किया गया है। बेनामी संपत्ति वह संपत्ति है जो बेनामी संव्यवहार की विषय वस्तु है, जबकि बेनामी संव्यवहार वह संपत्ति है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित की जाती है जिसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति ने प्रतिफल संदाय किया हो, लेकिन इसमें कुछ श्रेणी की संपत्तियां शामिल नहीं होंगी, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए वैश्वासिक हैसियत में संपत्ति धारण करता है।

27. ऐसी परिस्थितियों में, कोई संपत्ति बेनामी है या नहीं, इस पर विचार केवल बेनामी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार ही नहीं, बल्कि उस अधिनियम की धारा 2 (8) और 2 (9) के अनुसार भी करना होगा, अर्थात् यदि वह संपत्ति बेनामी है तो क्या वह अपवाद में आती है। ऐसे वाद का वर्जित होना केवल तभी कहा जा सकता है जब संपत्ति बेनामी हो और धारा 2 की उपधारा (9) में दिए गए अपवाद में न आती हो। हालांकि, यह मुद्दा कि क्या संपत्ति बेनामी है और अपवाद में नहीं आती है, यह भी साक्ष्य के आधार पर तय किया जाना है, न कि केवल वाद में किये गए अभिवचनों के आधार पर। प्रतिवादीगण को, संपत्ति को बेनामी साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी।
28. **पवन कुमार बनाम बाबू लाल⁶** में, इस न्यायालय के समक्ष सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 (घ) के तहत वादपत्र नामंजूर किये जाने के मामले में ऐसा ही एक मुद्दा आया था। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादपत्र नामंजूर किये जाने के लिए, यह परीक्षा है कि क्या वादपत्र में किए गए अभिवचन से निस्संदेह या निर्विवाद रूप से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधिक प्रावधान के तहत वर्जित है। जहां यह तर्क दिया जाता है कि वाद बेनामी संव्यवहार के अपवाद के तहत आता है, तो यह तथ्य का विवादित प्रश्न बन जाता है जिस पर साक्ष्य के आधार पर न्यायनिर्णयन किया जाना है। इसलिए, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर विचार करने के स्तर पर वादपत्र नामंजूर नहीं किया जा सकता।
29. उपरोक्त मामले का अनुपात पूरी तरह से इस वाद के तथ्यों पर लागू होता है। इसलिए, हमारी राय में, अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कारणों से सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करके कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है।
30. जहां तक यह तर्क किया गया है कि वादपत्र भी अधिनियम की धारा 14 के तहत आता है, यह उल्लेखनीय है कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई विशेष तर्क प्रस्तुत नहीं किया था। ऐसा कोई तर्क किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कभी नहीं लिया गया और न ही उस पर बहस की गई। उपरोक्त पहलू पर किसी भी न्यायालय का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसलिए, वादी के अधिवक्ता द्वारा सही तर्क किया गया है कि प्रतिवादीगण को विशेष अनुमति याचिका में बिना किसी आधार के पहली बार ऐसा तर्क देने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
31. अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम की धारा 14 बस यह प्रावधानित करती है कि किसी हिंदू महिला द्वारा धारित संपत्ति की वह पूरी स्वामी होगी। यह ऐसी संपत्ति के संबंध में वाद को वर्जित नहीं करता या उसे निषिद्ध नहीं है। अतः, उपरोक्त प्रावधान में कोई वर्जन नहीं होने पर, वादपत्र को विधि द्वारा वर्जित होने के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
32. अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रतिवादी क्रमांक 5 और 6 की ओर से सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर किये गए आवेदन को खारिज कर दिया है और और वादपत्र को किसी विधि द्वारा वर्जित होने के कारण नामंजूर करने से इंकार कर दिया है। इसका मतलब है कि पक्षकारों को वाद को गुण-दोष के आधार पर चलाने की स्वतंत्रता है। उन्हें वाद में सुसंगत विवाद्यक विरचित करवाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत वाद का विधि के किसी प्रावधान द्वारा वर्जित होने का प्रश्न भी शामिल है और यदि ऐसा कोई विवाद्यक विरचित किया जाता है, तो न्यायालय को, पक्षकारों की साक्ष्य हो जाने के बाद, इसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई अन्याय हुआ है, जिससे उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का लाभ लेने की इजाजत दी जाए।

33. तदनुसार, हम इन विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करना जरूरी नहीं समझते और इन्हें खारिज किया जाता है।

मामले का परिणाम: विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की गईं।

† शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गयीं: द्वारा निधि जैन

• लेखक

¹ संक्षेप में 'सीपीसी'

² श्रीमती शैफाली गुप्ता बनाम श्रीमती विद्या देवी गुप्ता एवं अन्य

³ इसके बाद इसे 'बेनामी अधिनियम' कहा जाएगा

⁴ इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा

⁵ (2005) 7 एससीसी 51

⁶ (2019) 4 एससीसी 367

(सुनीता वासवानी द्वारा अनुवादित)